न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– उमा मित्तल आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 32/2025

1. गोतम पुत्र स्व. रणजीत पुत्र भादरराम उर्फ बादरराम जाति नायक साकिन वार्ड नं. 6 सुरतगढ़ तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. रचना पुत्री स्व. रणजीत पुत्र भादरराम उर्फ बहादरराम जाति नायक साकिन वार्ड नं. 6 सुरतगढ़ तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. मायादेवी पत्नी स्व. रणजीत पुत्र भादरराम उर्फ बहादरराम जाति नायक साकिन वार्ड नं. 6 सुरतगढ़ तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. भादरराम उर्फ बहादरराम पुत्र जोगीराम जाति नायक साकिन बड़ोपल (चक 19 एसपीडीए) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. तंनसुखराम पुत्र भादरराम उर्फ बहादरराम जाति नायक साकिन बड़ोपल (चक 19 एसपीडीए) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. बिरमादेवी पत्नी हंसराज पुत्री भादरराम उर्फ बहादरराम जाति नायक साकिन वार्ड नं. सुरतगढ़ तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

——अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री शलेन्द्र कुमार नायक —— प्रार्थीगण
2. श्री मदन पारीक —— अप्रार्थी सं. 1, 2
3. श्री सद्दाम हुसैन ——अप्रार्थी सं. 3

–:: निर्णय :–

दिनांक:– 27/08/2025

अधिवक्ता प्रार्थीगण गोतम आदि द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री शलेन्द्र कुमार नायक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका हैं जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण संभावना एवं ठोस आधार है ।

यह कि प्रार्थीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है जो परस्पर सहदायिकी व सहअशंदायी है जो हिन्दू विधि के मिताक्षरा स्कुल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा प्रार्थीगण द्वारा स्व0 श्री जोगीराम की वशांवली का अंकन किया गया।

यह कि प्रार्थी सं. 1 व 2 के दादा व प्रार्थी सं. 3 के ससुर बहादरराम उर्फ भादरराम पुत्र जोगीराम के नाम से कृषि भूमि तहसील [illegible] पी.डी. के खाता सं. 28/23 के प.नं. 571375 (28) के किला न. 16 ता 19, 20 [illegible] ता [illegible]2 की 2.354 हैक. कमाण्ड खातेदारी व इसी प्रकार प्रार्थी सं. 1 [illegible] के ससुर बहादरराम उर्फ भादरराम पुत्र जोगीराम के नाम से [illegible] ल पीलीबंगा के चक [illegible] बारानी के खसरा सं. 2811/1359 की 2.530 हैक. व खसरा [illegible]. 2499/1360 की 6.3[illegible] खसरो की कुल 8.855 हैक. बारानी प्रथम में 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड वाके है। नकल जमाबंदी संम्वत 2073–76 व 2070–73 सलग्न प्रार्थना पत्र है ।

3

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:53:03 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी सं. 1 व 2 के दादा व प्रार्थी सं. 3 के ससुर अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त पैतृक कृषि भूमि है। जो की प्रार्थी सं. 1 व 2 के परदादा व प्रार्थी सं. 3 के दादा ससुर जोगीराम से विरासतन प्राप्त है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता व प्रार्थी सं. 3 के पति रणजीत की मृत्यु 10.03.2024 को हो चुकी हैं। प्रार्थी सं. 1 व 2 के दादा व प्रार्थी सं. 3 के ससुर अप्रार्थी सं. 1 के प्रार्थीगण के पिता स्व. रणजीत सहित कुल 3 संताने हैं। इस प्रकार प्रार्थी सं. 1 व 2 के दादा व प्रार्थी सं. 3 के ससुर अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रार्थीगण का 1\4 हक व हिस्सा निहित है प्रार्थीगण अपने हिस्सा की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करते आ रहे है परन्तु उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी सं. 1 व 2 के दादा व प्रार्थी सं. 3 के ससुर प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है इसलिये प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र कि दफा 3 में वर्णित अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज भुमि में अपने 1/4 हक हिस्सा की ब. ही. ब. खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।

यह कि प्रार्थना पत्र कि दफा 3 में वर्णित चक बडोपल बारानी प्रथम की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता की भुमि है जिसमें प्रार्थी सं. 1 व 2 के दादा व प्रार्थी सं. 3 के ससुर अप्रार्थी सं. 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं अप्रार्थी सं. 1 के हिस्सा की कृषि भुमि में प्रार्थीगण का 1/4 ब.ही.ब. हक व हिस्सा निहित है परन्तु उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी सं. 1 व 2 के दादा व प्रार्थी सं. 3 के ससुर अप्रार्थी सं. 1 का नाम सहवन से भादरराम के स्थान पर बहादरराम दर्ज हैं जबकी सही नाम भादरराम हैं जिससे प्रार्थीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में सही नाम भादरराम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 जो कि लालची किस्म के व्यक्ति है। अप्रार्थी स. 1 अन्य अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के किसी नाजायज दबाब मे है। इसी नाजायज दबाव के चलते दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि में से 1.265 हैक. भुमि का नाजायज तौर पर पूर्व में बैचान कर चुके है। अब बाकी बची अपने व प्रार्थीगण के हिस्सा की कृषि भूमि को औने पौने दामो में किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करना चाहते है। प्रार्थीगण के हक हिस्सा की भुमि हड़पना चाहते हैं। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितान्त ही मुशकिल होगा व प्रार्थीगण अपनी पैतृक कृषि भूमि से महरूम हो जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये तात्कालिन परिस्थितियों दृष्टीगत प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला वाद प्राप्त करने के हकदार है कि अप्रार्थीगण दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज एकल खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 19 एस.पी.डी. के खाता सं. 28/23 के प.नं. 57/375 (28) के किला न. 16 ता 19, 20/2 ता 25/2 की 2.354 हैक. कमाण्ड खातेदारी व इसी प्रकार प्रार्थी सं. 1 व 2 के दादा व प्रार्थी सं. 3 के ससुर बहादरराम उर्फ भादरराम पुत्र जोगीराम के नाम से सं[illegible] पीलीबंगा के चक बडोपल बारानी के खसरा सं. 2811/1359 की 2.530 [illegible] सं. 2499/1360 की 6. 325 दोनो खसरो की कुल 8.855 हैक. [illegible] दर्ज 1/3 हिस्सा मे से प्रार्थीगण का 1/4 हक हिस्सा [illegible] को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व प्रार्थीगण को बेकाबिज ना करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:53:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गयास। प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई जिस पर मनन किया गया तथा प्रार्थीगण के कथनानुसार अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण सख्या 1 व 2 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि :–

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में दर्ज यह तथ्य की उक्त अनवान का दावा श्रीमान न्यायालय में पेश हो चुका है, स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की कोई सम्भावना नहीं है

यह कि प्रार्थना–पत्र की दफा 2 अस्वीकार है। प्रार्थीगण जो अप्रार्थीगण के साथ नहीं रहते है ये संयुक्त परिवार के सदस्य नहीं है। प्रार्थिया मायादेवी ने रणजीत से शादी करनें के कुछ दिनों ही इसका आचरण व व्यवहार ठीक नहीं रहा। इस द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध झुठे एवम् गलत फौजदारी मुकदमे दहेज वगैरा के किये जाकर अप्रार्थी व रणजीत को परेशान किया जाता रहा है। यह कभी भी हमारे साथ नहीं है। प्रार्थिया मायादेवी के 25 वर्षो से गांव बड़ोपल के कृष्ण नाम के व्यक्ति से सम्बंध रहें है और वह उसी के साथ रहती रही है। अब वह अपने बच्चो प्रार्थीगण के साथ जयपुर रह रही है। हमारें यहां आना जाना नहीं व प्रार्थीगण के साथ कोई सम्बंध नहीं है। यह कि प्रार्थना–पत्र की दफा 3 में वर्णित भुमि मुताबिक राजस्व अभिलेख अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज है। यह कि प्रार्थना – पत्र की दफा 4 कतई गलत, विधि विरूद्ध एवं मिथ्यारचित है स्वीकार नहीं। प्रश्नगत चक 19 एस. पी. डी की भुमि अप्रार्थी सं. 1 को जरिये आंवटन आदेश दिनांक 08–10–1974 को किमतन आंवटन भुमि है। जिसकी अप्रार्थी स्वयं द्वारा समस्त किश्ते खजाना राज में जमा करवा कर दिनांक 08.06.1993 को सनद खातेदारी अपने नाम प्राप्त कि है। प्रश्न रोही बड़ोपल बारानी के नया ख.नंबर 2811 / 1359 पुराना 1359 तथा ख.नं. 1228 की कुल 25 वीघा भुमि जरियें मिसल संख्या 121 / 1993 निर्णय दिनांक 27.02.1996 को धारा 15 ए.ए.ए. राज. का. अ. के तहत इस भूमि के गंगा पत्नि जोगा, मनिराम, बहादरराम, भागाराम, पिसरान जोगा, रामप्यारी भीखी, बोगी, विधा, धापी, कोनडी, छोटी, मेथली, सावित्री पुत्रियां जोगा को ब. हि. ब. खातेदारी अधिकार प्राप्तश हऐ थें और यह भुमि इनके नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज हुई। श्रीमती गंगा पत्नी जोगा की मृत्यु के बाद रामप्यारी, भीखी, विधा, धापी, कोनड़ी, छोटी, मेथली, सावित्री नें अपना हिस्सा अपनें भाईयो मनीराम, भादरराम, व भागाराम पुत्र जोगा को जरिये पंजीकृत दस्तवदारी दिनांक त्याग कर दिया। यह भुमि राजस्व अभिलेख में मनिराम, 31.12.1999 को हक भादरराम, भागाराम के नाम भुमि दर्ज हुई। यह समस्त भुमि अप्रार्थी भादरराम की स्वयं की भुमि है और इस पर भादरराम का बतौर खातेदार लगातार कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण का प्रश्नगत भुमि में कोई हक हिस्सा नहीं है और न ही इनका इस भुमि के किसी भी अंश पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की घोषणा पाने के हकदार नहीं है। पत्र की दफा 5 कतई गलत है स्वीकार नहीं। प्रार्थीगण का यह कि प्रार्थना प्रश्नगत भुमि में कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त नहीं है।

यह कि प्रार्थना–पत्र की दफा 6 अस्वीकार है। रणजीत पुत्र भादरराम काफी बिमार रहता था। उसके हार्ट में तकलीफ थी जिसके लिए उसका कई अस्पतालों में काफी लम्बा ईलाज चला जो मंहगा इलाज था । उसको डेढ़ दो माह हल्दीराम होस्पिटल बीकानेर में भर्ती किया जा कर ईलाज करवा गया। कुछ दिन जोधपुर में वहां अस्पताल में भर्ती रहा। भिन्न–भिन्न अस्पतालों में अप्रार्थी द्वारा ईलाज करवा गया जो काफी महंगा था इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 नें अपनें नाम दर्ज स्वयं की भुमि बेचान करना आवश्यक हो गया था। अप्रार्थी सं. 1 बतौर खातेदार शांति पुर्वक काबिज काश्त है। प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है। प्रार्थीगण भादरराम की स्व. अर्जित सम्पति है। प्रथम दृष्टया मामला, व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर मिन अप्रार्थी संख्या के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या 1 जो कि अभिलिखित खातेदार है, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण किसी भी तरह की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर ... कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:53:04 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जबावुल जबाब ... प्रार्थना पत्र मय अतिरिक्त कथन प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि जबाब उक्त जबाब प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से निम्न प्रस्तुत है– यह कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित किया हैं कि प्रार्थीगण जो की अप्रार्थीगण के साथ नही रहते ये संयुक्त परिवार के सदस्य नही हैं। प्रार्थीया मायादेवी ने रणजीत से शादी करने के कुछ दिनो बाद ही इसका आचरण व व्यवहार ठीक नही रहा। इस द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध झुठे व गलत फौजदारी मुकदमें दहेज वगै. के किये जाकर अप्रार्थी व रणजीत को परेशान किया जाता रहा है। यह कभी भी हमारे साथ नही रही हैं। जो असत्य व मनघड़त होने से अस्वीकार हैं क्योकि वास्तवीक स्थिती इसके विपरीत

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

रही हैं प्रार्थी सं 1 व 2 अप्रार्थी सं. 1 के सगे पौता व पौती हैं तथा प्रार्थी सं. 3 मायादेवी अप्रार्थी सं. 1 की पुत्रवधु हैं। प्रार्थी सं. 3 एक पढी लिखी समझदार महिला हैं जो की नर्स का काम करती हैं तथा संयुक्त परिवार की सदस्य हैं। किन्तु प्रार्थी सं. 1 व 2 का पिता व प्रार्थी सं 3 का पति स्व. रणजीत शराब का आदि था। अप्रार्थी सं. 1 व 2 जालसाज व लालची किस्म के व्यक्ति हैं अप्रार्थी सं. 1 व 2 अपनी नशे की लत व बुरी आदतों की पुर्ति के लिये पुर्व में भी 1.265 हैव. भूमि का अवैद रूप से बैचान कर चुके है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 अपने लालच के वंशीभूत होकर प्रार्थीगण के खिलाफ स्व. रणजीत को भड़काया की तेरी पत्नी तो नर्स हैं यह तो कमाई कर अपने पिहरवालो को देती है तुम भी इसके पिहर की सम्पति में अपना हक हिस्सा लो इस बात से प्रार्थीया सं. 3 का पति स्व. रणजीत प्रार्थीगण के साथ मारपीट करता। लोक लाज व बच्चो के बारे में सोचकर प्रार्थी सं. 3 सब कुछ सहन करती रही। फिर भी अप्रार्थीगण अपनी हरकतो से बाज नही आये व प्रार्थीया सं. 3 के साथ मारपीट कर बच्चो सहित घर से निकाल दिया तो प्रार्थीया बच्चो सहीत अपनी मां के पास सुरतगढ में रहने लगी। फिर कई पंचायते हुई पर अप्रार्थीगण नही माने तो मजबुरन प्रार्थीगण कानुन का सहारा लेना पड़ा जिसके चलते फौजदारी मुकदमें हुए । अप्रार्थीगण चालाक व जालसाज प्रवति के होने के कारण प्रार्थीगण को आसानी से बहलाने में कामयाब हो गये तथा मनघड़त राजीनामा कर प्रार्थीगण को अधेरे में रखकर उक्त सभी मामलो को दोनो पक्षो के वकिलो से मिलकर प्रार्थीगण के विरूद्व करवा लिये व सही समय का इन्तजार करने लगे। इस दौरान स्व. रणजीत की तबीयत खराब हुई तो उसे अपनी गलती का अहसास हुआ तो वह भी अपनी पत्नी व बच्चो प्रार्थीगण के पास जाकर अपने स्वःअर्जित भुखड़ पर प्रार्थीगण के साथ रहने लगा। इसके अलावा अप्रार्थी सं. 1 व 2 के द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र की दफा 2 में कथन वर्णित किये हैं कि प्रार्थीया मायादेवी के 25 वर्षो से गांव बडोपल के कृष्ण नाम के व्यक्ति से संबंध रहे हैं ओर वह उसी के साथ रहती रही हैं। अब वह अपने बच्चो प्रार्थीगण के साथ जयपुर रह रही हैं। हमारे यहा आना जाना नही व प्रार्थीगण के साथ कोई सम्बंध नही होना वर्णित किये हैं जो कि मनघड़त मिथ्या व मानहानिकारक होने से अस्वीकार हैं। जबकी प्रार्थीया सं. 3 मायादेवी किसी कृष्ण नाम के व्यक्ति को नही जानती पहचानती हैं। प्रार्थीया सं. 3 अपने बच्चो के साथ सुरतगढ में निवास करती रही हैं। प्रार्थीया सं 3 के पति रणजीत की बिमारी के चलते दिनांक 10.03.2024 को मृत्यु हो गई तब प्रार्थीगण ने स्व. रणजीत के दाह संस्कार से लेकर तैरहवी तक का कर्मकाण्ड अपने गांव बडोपल स्थित पैतृक निवास पर ही किया गया था। जिसमें संयुक्त परिवार शामिल था तथा परिवार का मुख्य अप्रार्थी सं. 1 व 2 ही थे। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आज भी संयुक्त परिवार के सदस्य हैं जिनके संयुक्त परिवार का विघटन नही हुआ है। स्व. रणजीत के हिस्सा कि सम्पति हड़पने के लिये प्रार्थीया सं 3 पर अप्रार्थी सं 1 व 2 द्वारा लांच्छन लगाये गये है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा लगाये गये लांच्छन के लिये प्रार्थीया सं. 3 अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही करने के अधिकार को सुरक्षीत रखती है।

यह कि इसके अतिरिक्त में जबाब प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वादाधीन भूमि आवंटन होना व बहनो द्वारा दस्तवरदारी के कथन किये हैं। जो कि श्रीमान न्यायालय को मात्र गुमराह करने के लिये किये हैं। तथा उक्त वादाधीन भूमि को स्वःअर्जित साबित करने का असफल प्रयास किया हैं। जो असत्य होने से अस्वीकार हैं। क्योकी वास्तविकता यह कि प्रश्नगत चक 19 एसपीडी की भुमि प्रार्थी सं 1 व 2 के पड़दादा व प्रार्थीयासं 3 के दादा ससुर परिवार के कर्ताखानदान स्व. जोगा के द्वारा आवंटन के लिये पत्रावली पेश की गई परन्तु उस समय उक्त भुमि सिलिंग सिमा में अधिक होने के कारण परिवार के कर्ताखानदान स्व. जोगा के द्वारा अपने बालिंग पुत्र अप्रार्थी सं. 1 के नाम से संयुक्त परिवार की आय से किस्ते भरकर आवंटन करवाई गई जो की पैतृक भूमि (Ancestral land) है। इसी प्रकार जबाब प्रार्थना पत्र की दफा 4 में चक बडोपल बारानी की वादाधीन भूमि बहनो द्वारा दस्तवरदारी के कथन किये हैं। जो कि मात्र न्यायालय का ध्यान भटकाने के उद्देश्य से किये है जो कि असत्य हैं जबकी उक्त वादाधीन भूमि के आवंटन की पत्रावली परिवार के कर्ताखानदान स्व. जोगा के द्वारा आवंटन के लिये पेश की गई थी। उक्त भुमि जोगा के नाम गैरखातेदार दर्ज थी। इसी दौरान जोगा की मृत्यु हो गई। जोगा की मृत्यु के बाद उक्त भुमि जोगा के विधिक वारीसान पत्नी गंगा, मनीराम – बहादरराम उर्फ भादरराम – भागाराम – रामप्यारी– भीखी–बोगी– विधा–धापीकृ कोनड़ी–छोटी – मेथली – सावित्री पुत्र–पुत्रीया जोगा को ब.हि.ब. विरासतन प्राप्त हुई जो की

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:53:04 IST
Reason: SelfAttested

गैरखातेदारी थी। जिसके उपरान्त उक्त वादाधीन भूमि की सनद खातेदारी विधिवत रूप से जोगा के वारीसान के नाम जारी हुई। कुछ समय बाद परिवार के कर्ताखानदान स्व. जोगा की विधिक पत्नी गंगा की भी मृत्यु हो गई तो गंगा के हिस्सा की भूमि भी जोगा व गंगा के वारीसान को ब. हि. ब. प्राप्त हुई। चुंकि भुमि पिता जोगा से पैतृक प्राप्त थी भूमि पैतृक (Ancestral land) होने की सूरत में ही दस्तवरदारी (Release deed) की जा सकती है। इसलिये जोगा की सभी पुत्रीयों ने अपना–अपना हक हिस्सा त्याग किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा न्यायालय को गुमराह करने के आश्य से पेश दस्तावेजों दस्तवरदारी (Release deed), व सनद खातेदारी के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता हैं कि उक्त भुमि पैतृक भुमि (Ancestral land) हैं। प्रस्तुत दस्तावेज दस्तवरदारी (Release deed) के पेज नं. 2 की पंक्ति सं. 3 से 5 में स्पष्ट लिखा हैं कि मिकरान की माता गंगा की मृत्यू दिनांक 31.10.1997 को हो गयी हैं जिनकी जायज व कानूनी वारीसान मिकरान के अलावा मिकरान के तीन भाइयान मनीराम, भादरराम, भागाराम है व एक बहिन बोगी और फोत हो गयी है। उपरोक्त वर्णित अराजी साहेबा व पैतृक है। इसी प्रकार से सनद खातेदारी में भी सभी वारीसान को ब. हि.ब. का खातेदार घोषित किया गया है। इस प्रकार वादाधीन भूमि के दस्तावेजों के अवलोकन से ही स्पष्ट प्रतित साबित होता है कि वादाधीन अराजी पैतृक भुमि (Ancestral land) हैं जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा निहीत है जिससे अप्रार्थीगण मनमाने ढंग से नक्कार, कर प्रार्थीगण का हक व हिस्सा नही मार सकते हैं।

यह कि इसके अतिरिक्त में जबाब प्रार्थना पत्र की दफा 6 में भी मनघडत मिथ्या व आधारहीन कथन किये हैं कि रणजीत को हार्ट की बीमारी थी, जिसका महंगा लम्बा ईलाज चला जिससे भिन्न भिन्न हस्पतालों में अप्रार्थी द्वारा भर्ती रखने के आदि आदि कथन किये है। क्योंकी अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा न्यायालय को गुमराह करने के लिये उपरोक्त वर्णित बेबुनियाद कथन कर मामले में जटिलता पैदा करने की नाकाम कोशिश की गई हैं। जबकी वास्तवीकता इससे भिन्न है जब स्व. रणजीत को अपने स्वास्थ्य में गडबड, लगने लगी तो उसे अपनी गलती का अहसास हुआ और पत्नी बच्चो का ख्याल आया तो रणजीत अप्रार्थी सं. 1 व 2 का साथ छोड़कर अपनी गलती स्वीकार कर प्रार्थीगण के पास सूरतगढ चला गया ओर अपनी बीमारी का प्रार्थीगण को बताया। फिर प्रार्थीगण ने स्व.रणजीत को सब कुछ भुलकर अपने साथ रखा व प्रार्थीया सं. 3 ने अपनी जानकारी के सबसे अच्छे हॉस्पीटल एपैक्स सुरतगढ में भर्ती करवाया तो वहा पर जांच से पता चला की शराब के अधिक सेवन से किडनी खराब हो गई है। इलाज के दौरान हर तिसरे दिन स्व. रणजीत की डायलिसिस होती जिसका पुरा खर्च प्रार्थीगण के चिरंजिवी से प्रत्येक दिन 2100/–कटते थे यहां तीन महिने तक लगातार ईलाज चला। फिर प्रार्थीया सं. 3 अपने पति स्व. रणजीत को किडनी हॉस्पीटल श्रीगंगानगर लेकर गई वहा पर पिस्टुला बनवाया तथा भर्ती किया जिसका सम्पुर्ण खर्चा 21000/– प्रार्थीया सं. 3 ने ही भुगतान किये तथा चिरंजिवी से भी लाभ मिला था। उसके बाद किडनी के साथ साथ हार्ट पर दबाव बनने लगा तो प्रार्थीया सं. 3 ने रणजीत को हल्दीराम हॉस्पीटल बीकानेर लेकर गई ओर वहा पर भर्ती करवाया दौराने ईलाज प्रार्थी सं. 1 व 2 के साथ बुआ का लड़का राजकुमार व मामा राजेन्द्र प्रार्थीया रहते थे। फिर ईलाज के दौरान ज्यादा दिक्कत होने से एम्स हॉस्पीटल जोधपुर ले जाना पड़ा तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को सुचना दी फिर भी उन्होने कोई सुध नही ली। वहा पर भी पुरा खर्च प्रार्थीया सं. 3 ने लगाया जिसमें प्रार्थीया सं. 3 के चिरंजिवी से भी सहायता मिली थी । रणजीत के ईलाज में अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा पेशा तो लगाना दुर कि बात है अन्तिम स[illegible] का ईलाज का तम्माम खर्च चिरंजिवी से हुआ था छोटा मोटा खर्च प्रार्थीगण [illegible]न किया था। दौराने ईलाज दिनाक 10.03.2024 को रणजीत की [illegible] रूप से टुट गये प्रार्थीगण स्व. रणजीत की मौत के [illegible] सं. 1 व 2 अपनी नशे की लत ओर बुरी आदतों की पुर्ति करने के लिये [illegible] की रणजीत की बिमारी पर खर्चा होने की कहानी बनाकर पिछे से 506 हैं. भुमि बैचान कर [illegible]। इसी प्रकार पुर्व में भी अप्रार्थी सं. 1 व 2 अपनी नशे की लत ओर बुरी आदतो की पूर्ति करने के लिये वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित पैतृक भुमि में से 1.265 हैक. भुमि का नाजायज तौर पर बैचान कर चुके हैं।

यह कि प्रार्थी सं. 1 व 2 अपने पिता व प्रार्थीया सं. 3 अपने पति स्व. रणजीत की मृत्यु के बाद बिलकुल बेसहारा हो गये हैं। स्व. रणजीत के बाद प्रार्थीगण की जिम्मेवारी दादा ६ ससुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:53:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अप्रार्थी सं. 1 व चाचा ६ देवर अप्रार्थी सं. 2 की थी किन्तु अप्रार्थीगण तो प्रार्थीगण का हक व हिस्सा मारने पर अमादा हो चुके है अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा से महरूम हो जायेगे । अतिरिक्त कथन के रूप में कथन किया कि अप्राथी सं. 1 व 2 जालसाज व लालची किस्म के व्यक्ति हैं अप्रार्थी सं. 1 व 2 अपनी नशे की लंत व बुरी आदतों की पुर्ति के लिये पूर्व में भी 1.265 हैक. भूमि का अवैध रूप से बैचान कर चुके है तथा इसीप्रकार वर्ष 2025 में भी अप्रार्थी सं. 1 व 2 अपनी नशे की लत और बुरी आदतो की पुर्ति करने के लिये लोगो को रणजीत की बिमारी पर खर्चा होने की कहानी बनाकर पिछे से 506 हैं. भुमि बैचान कर चुके हैं। अप्रार्थी सं. 1 व 2 अपने लालच के वंसीभुत होकर प्रार्थीगण के खिलाफ षड़यंत्र रचकर हक व हिस्सा मारने की नियत से स्व. रणजीत की मृत्यु के कुछ समय बाद ही प्रार्थीगण को झुठे बैबुनियाद व मानहानीकारक ईल्जाम लगाते हुए घर से जबरन बैदखल कर दिया तथा प्रार्थीगण श्के पिता व पति स्व. रणजीत के बड़ोपल स्थित पैतृक निवास में बने मकानों,मोटरसाईकिल व अन्य सामान पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने जबरन कब्जा कर लिया। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आज भी संयुक्त परिवार के सदस्य हैं जिनके संयुक्त परिवार का विघटन नही हुआ है। स्व. रणजीत के हिस्सा कि सम्पति हड़पने के लिये प्रार्थीया सं. 3 पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा लांच्छन लगाये गये है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा लगाये गये लांच्छन के लिये प्रार्थीया सं. 3 अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही करने के अधिकार को सुरक्षीत रखती है।

यह कि प्रार्थी सं. 1 व 2 अपने पिता व प्रार्थीया सं. 3 अपने पति स्व. रणजीत की मृत्यु के बाद बिलकुल बेसहारा हो गये हैं। स्व. रणजीत के बाद प्रार्थीगण की जिम्मेवारी दादा/ससुर अप्रार्थी सं. 1 व चाचा/

देवर अप्रार्थी सं. 2 की थी किन्तु अप्रार्थीगण तो प्रार्थीगण का हक व हिस्सा मारने पर अमादा हो चुके है अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा से महरूम हो जायेगे। अप्रार्थीगण द्वारा बैचान की गई भुमि पैतृक भुमि थी जिसको बिना प्रार्थीगण की सहमति के बैचान नही किया जा सकता। क्योकी ऐसा बैयनामा शुरू से ही शुन्य हैं जो की प्रार्थीगण के हक व हिस्सा पर लागु नही होता हैं।अतः जबाब उल जबाब प्रार्थना पत्र मय अतिरिक्त कथन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का जबाब उल जबाब प्रार्थना पत्र मय अतिरिक्त कथन रिकॉर्ड पर लिया जावे।

आदेश

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थीगण की पैत्रक भूमि है उक्त पैत्रक भूमि में भाईयों के पक्ष में दस्तबरदारी की गइ है। जिसमें जोगाराम की पुत्रियों के द्वारा दस्तबरदारी की गई है। पैत्रक भूमि में से कुछ रकबा बैचान किया गया है। प्रकरण में वाद विवाद बढने की स्थिति होगी इसलिए ता दावा फैसला स्थगन जारी कियाजावे। अधिवकता प्रार्थी द्वारा अपने कथनों को साबित करने हेतु न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गए है–

1. डीएनजे राज. 2022 पृष्ठ संख्या 748
2. डीएनजे राज. 2022 पृष्ठ संख्या 269
3. डीएनजे राज. 2022 पृष्ठ संख्या 1286
4. डीएनजे राज. 2024 पृष्ठ संख्या 508
5. डीएनजे राज. 2021 पृष्ठ संख्या 591

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:53:04 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थी 1 व 2 के द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रश्नगत रकबा पैत्रक नहीं है। चक 19 एसपीडी का रकबा का आवंटन 1974 में किया गया है एवं खातेदारी 1993 में की गई है व प्रश्नगत रकबा में 15 एएए के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। प्रश्नगत रकबा पैत्रक नहीं है। प्रार्थी द्वारा भरण पोषण का परिवाद प्रस्तुत है स्वअर्जित सम्पति है इस लिए

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

स्थगन खारजि फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने कथनों को पुष्ट करने हेतु न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जिसमें कि –

1. आरआरटी 2023 पृष्ठ संख्या 566
2. आरआरटी 2023 पृष्ठ संख्या 1096
3. आरआरटी 2023 पृष्ठ संख्या 176
4. आरआरटी 2018 पृष्ठ संख्या 632

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा न्यायालय में हाजिर होकर पत्रावली पर लिखा कि प्रार्थीगण को हक हिस्सा तक यदि स्थगन आदेश कनफर्म किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सममान अध्ययन किया गया। प्रकरण में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है पूर्व में जारी अस्थाई स्थगनादेश ता फैसला दावा कनर्फम किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 21.04.2025 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेशा आज दिनांक 27/8/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपनिवेशन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:53:04 IST
Reason: SelfAttested